30.5.25

पत्रावली पेश। निगरानीकर्ता उप०। पुनः
केवल उत्तरवादी [illegible] उपस्थित हुयी
गई। प्रार्थना पत्र U/S 212 RT Act
स्वीकार किया जाता है। विपक्षी निर्धारित
[illegible] प्रतिलिपि [illegible] (प्रा. पत्र) [illegible]
जाय। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश।

निर्णय अइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27 / 2022 तारीख दायरा 21.06.2022

उनवान

श्रीमती रामकन्याबाई पत्नी श्री रामचरण जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रार्थीनी

बनाम

1. गोबरीलाल पुत्र कालू जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. पृथ्वीराज पुत्र हरिप्रसाद जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेड़ा तहसील सोंगोद जिला कोटा।
3. लालचन्द पुत्र हरिप्रसाद जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
4. श्रीमती ममता पुत्री हरिप्रसाद पत्नी श्री सुदेन जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सोंगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बडा तहसील बारां जिला बारां।
5. श्रीमती द्रोपदी बेवा हरिप्रसाद जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोटा रोड, सांगोद जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा कोटा, राम मन्दिर के पास खेडली फाटक कोटा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – अप्रार्थीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट के सा थ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

दिनांक :– 30.5.25

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील अप्रार्थी सं. 6 व 7)

प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्त उनवान का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीनी को सफलता की पूर्ण उम्मीद है। यह प्रार्थना पत्र वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है जिसे वादपत्र का अभिन्न अंग मानकर पढ़ा जावे।

– प्रार्थीगण

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीनी के कब्जे व स्वामित्व की खसरा नंबर 106 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 107 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.35 हैक्टर आराजी वाके ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जो प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2016001101 दिनांक 05.07.2016 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तभी से उक्त आराजी प्रार्थीनी के एकमात्र मालिकाना हक व कब्जेकाश्त में बदस्तूर चली आ रही है।
- बाद खरीद प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्त रजिस्टर्ड बैनामें की नकल पटवारी हलका को वास्ते इन्तकाल दर्ज करने दे दी थी तथा पटवारी हलका द्वारा भी मुताबिक बैनामा इन्तकाल दर्ज करने का पूर्ण विश्वास दिलाया था किन्तु दिनांक 27.05.2022 को प्रार्थीनी पटवारी हलका के पास टीप करवाने के लिए गई तो पटवारी हलका द्वारा बताने पर प्रथम बार ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी तत्कालीन पटवारी द्वारा मुताबिक बैनामा प्रार्थीनी के खाते दर्ज नहीं की एवं बाद बैचान अप्रार्थीगण द्वारा अपने शेष आराजी के साथ–साथ प्रार्थीनी की क्रयशुदा आराजी को अप्रार्थी क. 6 के पक्ष में भारग्रस्त कर दिया है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीनी की क्रयशुदा वादग्रस्त आराजी पर ऋण प्राप्त करने का विधिक अधिकार नहीं था। उक्त संबंध में प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को उलाहना

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद ... कोटा

Scanned with OKEN Scanner

दिया और बैंक मोजबूज प्राप्त कर प्रार्थीनी की क्रयशुदा आराजी को भारमुक्त करवाने को कहा तो उन्होंने राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द बेचान कर वादग्रस्त आराजी पर शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त से प्रार्थीनी को बेदखल करने की धमकी दी जिसमें यदि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 अपने नाजायज मसूबे में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीनी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

- अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक प्रार्थी व खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे कि रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक 2016001101 दिनाँक 05.07. 2016 से प्रार्थीनी द्वारा खरीदशुदा वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी के खाते दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जाये।

- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की 1 ता 8 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 8 प्रकरण में फार्मल पक्षकार है।

- अप्रार्थी सं. 6 व 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी द्रोपदी, पृथ्वीराज, लालचन्द, गोबरीलाल ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद एवं भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा कोटा से किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऋण प्राप्त कर आराजी बैंक के पक्ष में रहन रख रखी है, ऐसी स्थिति में बैंक का प्रथम भार है, उक्त ऋण की अदायगी किये बगेर प्रार्थीनी को आराजी खाते दर्ज करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। बैंक के हक में रजिस्टर्ड रहन नामा है, जिसे सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थीनी को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

- जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया।

- मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं परन्तु प्रार्थीया के पक्ष में रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक 2016001101 दिनाँक 05.07. 2016 निष्पादित किया गया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई है। इस कारण प्रकरण में किसी भी प्रकार से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं परन्तु अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजी पर प्रार्थी द्वारा स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 ता 5 द्वारा स्वयं के हिस्से में दर्ज आराजी का प्रार्थीनी को बेचान किया गया है तथा बेचान करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर रहन लिया गया है, उक्त के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है।

—: आदेश :—

➢ उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तो बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीन मुख्य बिन्दूओं को पूर्णतः संतुष्ट किया गया है। प्रकरण में विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में अप्रार्थी सं. 6 व 7 के पक्ष में रहन होने के कारण बैंक पक्षकार के प्रथम चार्ज पर किसी भी प्रकार से विपरित प्रभाव पडता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होने तथा प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश जारी किये जाते हैं कि —

अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 106 रव

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 107 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.35 हैक्टर आराजी पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 30.5.25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner